राजस्थान सरकारी
गृह (घुप-9) विभाग

कमांड़. प.33(2)गृह-9/2019/1226      जयपुर, दिनांक : 11-07-2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के परिणामों में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु, संक्रमण की श्रृंखला को लोडॉने व आमजन का जीवन बचाने हेतु, व्यापक लोकहित में, राज्य सरकार द्वारा निरर्त सभी समस्या प्रभाव किये जा रहे हैं। समय-समय पर राज्य-सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक आदेश/एडवायरजरी/दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये गये अथवा प्राधिकृतों के कारण ही प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित रखने में काफी हद तक सफलता हासिल की है।

राज्य सरकार द्वारा सभी समस्या प्रभाव किये जाने के बावजूद पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 संक्रमित नरीमान की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका एक प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी विभिन्न आदेश/एडवायरजरी/दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं किया जाना है। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कस्टमर नागरिकों द्वारा सामाजिक दूरी की पालना नहीं किया जाना, मास्क नहीं पहनना, कार्य एवं अन्य स्थानों का उचित विसंक्रमणीकरण नहीं किया जाना, सार्वजनिक स्थानों पर शून्याका, सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों में लोगों का प्रतिबंध के बावजूद इकट्ठा होना, इन कारणों से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने में कठिनाई हो रही है।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 की निरस्तरता में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु तथा संक्रमण की श्रृंखला को लोडॉने के लिए पुनः निम्नानुसार एडवायरजरी जारी की जाती है:–

[Signature]
1. आपस में मिलते समय कम से कम 6 फुट की दूरी बनाये रखें।
2. घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें।
3. सार्वजनिक स्थानों पर न शून्य।
4. भीड-भाड वाले स्थानों पर जाने से यथा संभव बचे।
5. घरों व कार्यस्थलों को समय-समय पर विसंजमित करें।
6. आपस में मिलते समय हाथ मिलाना तथा गले लगाने जैसे अभिवादनों से बचे, बार-बार साफ़-साफ़ हैंड सेंट्राइजर से हाथ धोये, स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाये रखी जाये।
7. कार्यस्थलों पर बैठकों का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जाये। साथ ही ऐसी बैठकों जिनमें कडी संख्या में प्रतिनिधियों शामिल हों, को यथा संभव पुनर्निर्धारित किया जाये।
8. कियाना स्टोर/मेडिकल स्टोर/सब्जी की दुकान/दूध डेलिवरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन किया जाये तथा सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए दो गज की दूरी पर गोले बनाये जाये।
9. रेस्टोरेंट अथवा होटल/ढांचों के प्रवेश के प्रवेश के समय संयुक्त तथा सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम दो गज की कडी का फासला रखा जाये तथा प्राइमर्स को यथा संभव खुलौं हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
10. पूर्व नियोजित शाखाओं, समारोह एवं अन्तिम संस्कार इत्यादि में आगंतुकों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या तक ही सीमित रखने की कडाई से पालना सुनिश्चित की जाये।
11. सभी गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को स्थगित रखा जाये।
12. स्थानीय निकायों के चुने हुये जनप्रतिनिधि/अधिकारियों के द्वारा व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवसायिक स्थल यथा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, अन्य बाजारों में कहा करने व बना नहीं करने, इस हेतु व्यापक 'प्रचार' का अभियान चलाया जाये। बाजारों में अधिक भीड न हो, इस हेतु भी सम्पूर्ण उपाय किये जाये।
13. आम्जन गैर जरूरी यात्राओं से बचे एवं सार्थक व्यवहार यथा वस, रेलगाड़ी, हवाई ज़ागर में सुरक्षित दूरी वनाकर यात्रा करें। साथ ही संबंधित अधिकारी इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंकृमित (Disinfect) करना पुनिशित करें।

14. सभी संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाये।

15. ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों में होने वाले डिलीवरी का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष सूचनात्मक उपाय अपनाएं जाये।

16. करेंगी नोटों एवं पत्रावलियों के पृष्ठ पतलटने के लिए पानी के संपर्क का उपयोग किया जाये तथा इसे दैनिक रूप से विसंकृमित किया जाये।

17. यथासम्भव हवादार क्षेत्र/कमरे में ही निवास या कार्य किया जाये।

उक्त दिशा-निर्देशों की प्राप्तित कानूनी प्राधिकरणों के तहत कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये। अवधालना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध राजस्थान महामारी अद्यावधि, 2020 व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुरक्षित प्राधिकरणों के तहत दण्डायत्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(सहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महादेव।
2. विशेष सहायक, मा. गृह मंत्री महादेव।
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महादेव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विकिलिस्ट एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, विकिलिस्ट शिक्षा विभाग।
8. समस्त संबंधी आयुक्त, राज.
9. समस्त अहमदीकार, रेज./पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य शिक्षक, राज.
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, राज.
12. निजी/गार्ड पत्राध्यक्ष।

(सहित कुमार)
विशेष शासन सचिव

Scanned with CamScanner